न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 170/2017

1. गोविन्दनारायण
2. कैलाश चन्द
3. प्रभुनारायण
4. रामपाल
   पुत्रान स्व. श्री स्वरूपनारायण
5. श्रीमती धापू पत्नी स्व0 स्वरूपनारायण
   समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.....अपीलांट

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील सांगनेर जिला जयपुर।
2. लादूराम
3. रामप्रसाद
   पुत्रान स्व. श्री दुर्गा जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

..... रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व तहसीलदार आदेश दिनांक 09.11.2017 वास्ते निरस्ती शुद्विपत्र

———

निर्णय दिनांकः 21.11.2017

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, सांगानेर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 09.11.2017 द्वारा ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर स्थित जमाबंदी संख्या 2072–2075 में खाता संख्या 163 खसरा नम्बर 359 रकबा 0.04 है0, ख.न. 360 रकबा 0.13 है0, ख.न. 373 रकबा 0.43 है0, ख.न. 405 रकबा 0.02 है0, ख.न. 411 रकबा 0.01 है0, ख.न. 412 रकबा 0.16 है0, ख.न. 428 रकबा 0.31 है0 कुल किता 7 रकबा 1.10 हैक्टर भूमि का शुद्वि पत्र स्वीकार किये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.11.2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय की मिसल तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या 2, 3 व सरजू देवी की ओर से अधिवक्ता श्री विशाल जोशी ने कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। कैवियटकर्ता अधिवक्ता द्वारा अपील व प्रार्थना पत्र स्थगन में प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया एवं प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया गया। प्रार्थना पत्र o1R10 CPC स्वीकार होने पर संशोधित उनवान पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। रेस्पाडेन्ट अधिवक्ता की ओर से अपीलांट की ओर से पेश स्थगन प्रार्थना पत्र पर जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली पर बहस उपस्थित उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई। हुआ।अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर स्थित अपीलाधीन भूमि पर अपीलार्थीगण का हिस्सा 5/9 एवं रेस्पाडेन्टस का हिस्सा 1/9 है। जिस पर अपीलार्थीगण एवं खातेदार श्रीमती सरजू देवी पत्नी स्व. दुर्गा, रामप्रसाद, लादूराम मनबट से काबिज काश्त है एवं अपीलार्थीगण एवं उक्त खातेदार का बहैसियत नाम इन्द्राज रहा है। अपीलार्थीगण का उक्त खातेदार शामलाती परिवार रहा है एवं पूर्व में शामलाती ही कृषि भूमियां थी। रेस्पाडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता स्व0 दुर्गा, स्वरूपा पुत्रान प्रताप व रेवड पुत्र भौरिया द्वारा स्वयं की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमियों को स्व0 घासी पुत्र सूज्या से अदल बदल की गयी थी। स्व. दुर्गा, स्वरूपा पुत्रान प्रताप व रेवड पुत्र भौरिया ने अपनी भूमि स्व. घासी पुत्र सूज्या के पुत्रान मोती, शंकर, मोहन के हक में रजिस्ट्री करवायी तथा स्व घासी ने स्वयं की कृषि भूमि रेस्पाडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता स्व. दुर्गा के नाम से रजिस्ट्री करवायी है। स्व. दुर्गा के हक में की गयी उक्त रजिस्ट्रीयों की भूमि में अपीलार्थीगण का हिस्सा 1/3 है जिसे स्व. दुर्गा ने स्वयं भी स्वीकार किया था तथा इस बाबत एक लिखाकर दिनांक 17.06.74 को स्व. दुर्गा एवं घासी पुत्र सूजा के द्वारा लिखी गयी है एवं घासी द्वारा लिखी गयी वसीयत दिनांक 01.09.1990 में भी दर्ज है। स्व. दुर्गा ने अपीलाधीन भूमि में अपीलार्थीगण का हिस्सा 5/9 एवं स्वयं का हिस्सा 1/9 होना स्वीकार किया। रेस्पाडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता स्वदुर्गा के देहावसान के बाद उनके जीवनकाल में किये पारिवारिक समझौते के विपरीत उनके वारिसान कार्यवाही करने लगे। मिथ्या आधारो के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में मनमर्जी से परिवर्तन करवाकर अपीलार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि से महरूम कर देना चाहते है। उक्त खातेदारान ने दिनांक 27.09.2017 को रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के यहां अपीलार्थीगण का रकबा कम करवाये जाने हेतु आवेदन किया जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को होने पर अपीलार्थीगण द्वारा आपत्ति पेश की गयी। वाद पत्र मय निषेधाज्ञा का मय प्रार्थना पत्र उनवानी गोविन्दनारायण बनाम सरजू न्यायालय सहायक कलकक्टर द्वितीय जयपुर शहर के समक्ष प्रस्तुत किया न्यायालय द्वारा जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 11.10.2017 से अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार सांगानेर को पाबन्द किया कि विवादित भूमि वाके ग्राम सिरोली कुल किता 7 कुल रकबा 1.10 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 5 के हिस्से में किसी प्रकार का परिवर्तन ना करें एवं उभय पक्ष को भी कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया गया। उक्त न्यायलय आदेश की जानकारी होने के बावजूद रेस्पाडेन्ड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत खाता इन्द्राज दुरूस्ती अर्न्तगत नियम 166 लैण्ड रेवेन्यू नियम 1957 पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पटवारी हल्का को शुद्विपत्र पेश किये जाने हेतु पत्र दिनांक 08.11.2017 जारी किया गया। अपीलार्थीगण को सूचना मिलते ही श्रीमान न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर प्रथम में अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 10.11.2017 को प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थायी निषधाज्ञा से रेस्पाडेन्ट्स को न्यायालय की

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) * जयपुर *

आगामी तारीख पेशी 23.11.2017 तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति एवं खाता दुरूस्ती नहीं किये जाने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर ने रेस्पाडेन्ट्स संख्या 2 व 3 को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से अन्तरिम आदेश दिनांक 10.11.2017 प्राप्त होने पर दिनांक 09.11.2017 पटवारी रिपार्ट पर शुद्वि पत्र तस्दीक कर दिया जिसका रेस्पाडेन्ट संख्या 1 को हक व अधिकार नहीं था। तहसीलदार सांगानेर द्वारा समस्त कार्यवाही हल्का पटवारी को मौखिक आदेश दिये जाकर उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर बदनीयति से रेस्पाडेन्ट्स को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से आदेश दिनांक 09.11.2017 पारित किया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर का निर्णय दिनांक 09.11.2017 बाबत शुद्वि प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट ने भी जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपील माननीय न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों को रखते हुए पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थना पत्र बाबत शुद्वि दिनांक 27.09.2017 को पेश किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 09.11.2017 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जबकि माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 10.11.2017 को पारित किया गया। शुद्वि पत्र आदेश को भी न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय जयपुर (शहर) के द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 11.10.17 के अध्याधीन रखा गया है जिससे स्पष्ट है कि रेस्पाडेन्ट संख्या 1 द्वारा माननीय न्यायालयो के आदेशों की अवहेलना नहीं की गई है। अपीलाधीन भूमि में रेस्पाडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता स्व. दुर्गा का हिस्सा 1/3 रहा है। जो जमाबन्दी संवत 2060 से 2063 तक था। लेकिन जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 व संवत 2068 से 2071 में खातेदार दुर्गा पुत्र प्रताप का हिस्सा 1/3 व अपीलार्थीगण का हिस्सा 2/3 अंकित कर दिया। जमाबन्दी 2068–2071 में वादग्रस्त भूमि द्वारा बैंक रहन से दुर्गा पुत्र प्रताप का हिस्सा 1/9 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिरोली व शेष हिस्सा 2/9 दुर्गा बदस्तुर अंकित है। वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4(1) के अर्न्तगत राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त हो चुकी है। लिपिकीय त्रुटि से अपीलार्थीगण का हिस्सा 1/3 के स्थान पर 5/9 अंकित हो गया जिसका नाजायज फायदा अपीलार्थीगण उठाना चाहते है। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पाडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता की वादग्रस्त भूमि का हिस्सा 1/3 है जमाबन्दीयों में हिस्सा गलत दर्ज हो गया जिसे शुद्वि हेतु तहसीलदार सांगानेर के समक्ष शुद्वि प्रार्थना पत्र रेस्पाडेन्ट संख्या 2 व 3 ने पेश किया था जो न्यायोचित है। तहसीलदार सांगानेर ने नियमानुसार ही आदेश दिनांक 09.11.2017 पारित किया है।अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन शुद्वि प्रार्थना पत्र नियमानुसार व विधिसंगत ही पारित किया गया है ।रेस्पाडेन्ट द्वारा पेश किये शुद्वि पत्र पर नियमानुसार ही सभी तथ्यों का भलीभांति अवलोकन कर पटवारी हल्का

को शुद्वि प्रार्थना भरने हेतु दिनांक 08.11.2017 को तहसीलदार सांगानेर द्वारा निर्देशित किया गया एवं आदेश दिनांक 09.11.2017 द्वारा शुद्वि पत्र स्वीकार किया गया। उक्त आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय जयपुर (शहर) का स्थगन होने के कारण न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय जयपुर (शहर) के अध्याधीन रखा गया। माननीय न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा खाता दुरूस्ती नहीं किये जाने संबंध अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 10.11.2017 को दी गई जिसके पूर्व में आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया जा चुका था। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं पैरोकार सरकार व विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। साथ ही अपीलाण्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो पर भी गौर किया गया। अपीलाधीन शुद्वि पत्र जो दिनांक 09.11.2017 को स्वीकार किया गया के अवलोकन से जाहिर है कि पटवारी हल्का ने तहसीलदार सांगानेर के आदेश दिनांक 08.11.2017 की पालना में भरकर तहसीलदार सांगानेर के समक्ष पेश किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार सांगानेर द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय जयपुर (शहर) के स्थगन आदेश के बावजूद शुद्वि पत्र स्वीकृत किया गया एवं दिनांक 09.11.2017 को पटवारी हल्का दांतली द्वारा शुद्वि पत्र भरकर दिया गया व उसी दिनांक 09.11.2017 को शुद्वि पत्र तहसीलदार सांगानेर द्वारा स्वीकृत किया गया जबकि अपीलांट व रेस्पाडेन्ट का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का हक व अधिकार के प्रश्न पर वाद सक्षम न्यायालय में लम्बित है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन नहीं किये जाने की दिनांक 11.10.2017 को जारी की गई है। शुद्वि पत्र स्वीकृत करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व रेस्पाडेन्ट्स के वादग्रस्त भूमि पर हक व अधिकार के संबंध में कोई अवलोकन नहीं किया गया। सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाकर ही इन्द्राज दुरूस्ती कराई जा सकती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (द्वितीय) के स्थगन के आदेश का अंकन होने के बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो गलत है, न्यायिक सिद्वान्तो के विपरीत है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित निर्णय शुद्वि पत्र दिनांक 09.11.2017 बाबत ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 163 कुल किता 7 रकबा 1.10 हैक्टर भूमि निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।